ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-1* April-2021
Anthology : The Research

भारत में किशोर अपराधः समस्या एवं समाधान
Juvenile Crime in India: Problem and Solution

Paper Submission: 02/04/2021, Date of Acceptance: 14/04/2021, Date of Publication: 25/04/2021

कृष्ण मुरारी गुप्त
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
सन्त विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
देवरिया, उ0प्र0, भारत

सारांश

परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओ ं में नगरीय जीवन में जो विषम समस्या हैं कि उसमें किशोर अपराध एक प्रमुख समस्या है। यह एक ऐसी समस्या है जो घटने के बजाए दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है देश के प्रत्येक क्षेत्र में किशोर अपराध का रूप देखा जा सकता है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, विघटित परिवार, बेरोजगारी, गरीबी, गंदी बस्तियों, जनसंचार के साधन (मोबाइल वेब आदि) ने अधिकाधिक मात्रा में वृद्धि करने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा किए हैं। अपराध रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को बच्चों का ध्यान देना होगा जिससे इसमें कमी आ सकेगी।

Among the various processes of change, juvenile delinquency is a major problem in urban life. This is a problem which seems to be increasing day by day instead of reducing, the form of juvenile crime can be seen in every region of the country. Industrialization, urbanization, Western education, disintegrated families, unemployment, poverty, slums, mass media (mobile web etc.) have played their major role in increasing the maximum amount. The government will have to take concrete steps to stop crime. At the same time, family members will have to pay attention to the children, which will reduce it.

मुख्य शब्द : किशोर, अपराध, पुलिस, परिवर्तन,
Juvenile, crime, police, change

प्रस्तावना

अपराध की तरह किशोर अपराध भी भारत में एक प्रमुख समस्या के रूप में गम्भीर होता जा रहा है, क्यों कि इसके विस्तार का पता लगाना भी एक कठिन कार्य है। आज अनेक किशोर अपराध के मामले पुलिस को सुचित ही नहीं किये जाते फिर भी जो किशोर अपराध के मामले पुलिस द्वारा दर्ज किये जाते है उनसे इसके विस्तार का पता चलता है, एक रिपोर्ट अनुसार–1948,1954 की समयावधि में 86491 किशोर अपराधियों को बन्दी बनाया गया उनकी संख्या–1948 में 12268 थे, 1953–54 में 16657 हो गई 1960 में इनकी संख्या–20000 तक पहुँच गयी। सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेंशन के आँकड़ों के अनुसार–2001 की तुलना में 2011 में 52.2: किशोर अपराधों में वृद्धि होई। आँकड़ों से ही हमें यह पता चलता है कि हाल के वर्षो में अपराध व किशोर अपराध की प्रकृति एवं दर में अकल्पनीय परिवर्तन एवं वृद्धि की दशा ने समाज के समक्ष गम्भीर चुनौती खड़ी कर दी है।[1]

अपराधी किशोरों की देख रेख संरक्षण उपचार विकास और पुनर्वास तथा बाल अपराधियों से सम्बन्धित विषयों के न्याय निर्णयन का आवासादेश का उपबन्ध करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसमें बाल अपराधी ऐसे किशोर को कहा गया जिसने कोई अपराध किया है। बाल (किशोर) से अभिप्राय ऐसे लड़के से है जिसने 16 वर्ष की आयु पुरी नहीं की है अथवा ऐसी लड़की से जिसने 18 वर्ष की आयु पुरी नहीं की है किन्तु बाल अपराधियों विशेष रूप से लड़को द्वारा के जाने वाले अपराधों की प्रकृति को देखते हुए इसमें संशोधन 2000 ई0 में किया गया तथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन बाल अपराधियों की आयुसे सम्बन्धित था। संशोधन से पहले लड़कीयों के लिए बाल अपराधी की आयु 18 वर्ष तथा लड़को के लिए 16 वर्ष थी संशोधन के बाद अब दोनों अर्थात् लड़के व लड़की के लिए यह आयु 18 वर्ष कर दी गयी है। ऐसा करने पर भी बाल अपराधों की गम्भीरता एवं दर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब यह अधिनियम किशोर न्याय (बालको की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 नाम से जाना जाने लगा। इसमें सात से सोलह वर्ष के

अपराधी बालको को कम से कम तीन महीने और ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा का प्रावधान है धारा 15 के अन्तर्गत 16 से 18 वर्ष के बाल अपराधियों द्वारा किये गये जघन्यअपराधों को लेकर विशेष प्रावधान किये गये है।2

किशोर अपराध की कानूनी परिभाषा

कानून दृष्टि से किशोर अपराधी 15 से 21 वर्ष का वह बालक है जो की समाज विरोधी काम करता है। ओहायों कोड यू0एस0ए0 ने किशोर अपराधी की परिभाषा इस तरह की है– ''किशोर अपराधी वह है जो कानून भंग करता है, आवारा गर्दी करता है, आज्ञा का उलंघन करने में अभ्यस्त है, जिसके व्यवहार से उसका अपना तथा दुसरों का नैतिक जीवन खतरे में पड़ता है अथवा जो अपने माता–पिताया अविभावको की अनुमति के बिना विवाह करने की कोशिश करता है।'' किशोरअपरधी कहलाने वाले बालको की आयु सभी देशों में अलग–अलग है मिश्र, इराक, लेवनान तथा सिरिया में 15 वर्ष, फिलीपाइन्स, लंका, वर्मा, इंग्लेण्ड में 16 वर्ष, इरान, सौदी अरब तथा थाईलेण्ड मे 18 वर्ष, जापान में 20 वर्ष है।[3]

सदरलैण्ड ने– 16 –18वर्षसे कम आयु के सभी अपराधियों को किशोर अपराधी कहा है भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार–बाल अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़को द्वारा किये गये अपराधों से परन्तु किशोर न्याय (देख–रेख एवं संरक्षण) 2015 द्वारा अब यह आयु लड़के एवं लड़की दोनो के लिए 18 वर्ष कर दी गई है।

डॉ0 सेथना ने लिखा है

''किशोर अपराध में एक स्थान विशेष पर उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक अथवा युवक व्यक्ति द्वारा किये गये अनुचित कार्य से है।''[4]

स्पष्ट है कि किशोर अपराधी और अपराधी में विशेषतया आयु का अन्तर है। दोनों ही समाज विरोधी कृत्य करते है।

किशोर अपराध के कारण

आधुनिक समाज संक्रमण और परिवर्तन की परिस्थिति से गुजर रहा है जब समाज में तीब्रता से परिवर्तन आता है तो असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इन तीब्र परिवर्तनों से किशोर का मस्तिष्क बुरी तरह से प्रभावित होता है फलस्वरूप वह अपराध की ओर अग्रसर होन लगता है।

वर्तमान किशोर अपराध के जो आँकड़ें प्राप्त हुए है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशारों में बढती अपराधिक प्रवृति गम्भीर रूप धारण करती जा रही है चूकि यह समाजिक समस्या है इसलिए इसके कारण समाज में ही खोजने होगें जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है–

1. तेजी से बढता हुआ इंटरनेट का प्रयोग।
2. जनसंचार के साधनों में वृद्धि–कम्प्यूटर, मोबाईल, बेब।
3. संवेगात्मकअस्थिरता ।
4. शारीरिक दोष।
5. अपूर्ण अवश्यकताएं।
6. नगरीकरण, औद्योगीकरण।
7. अपराधी क्षेत्र।
8. स्वास्थ्यप्रद मंनोरंजन का आभाव।
9. स्कूल की परिस्थिति।
10. परिवार में निर्धनता ।
11. विघटित परिवार।

भारत के किशोरों में बढती अपराधिक प्रवृतियों का विस्तार

भारत के किशोरों में बढती अपराधिक प्रवृति की समस्या काफी गम्भीर है आंकड़ों से हमें यह पता चलता है कि यह समस्या कितना गम्भीर रूप लेती जा रही है। 1958 ई0 सेन्ट्रल व्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपराध के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है। देश के विभिन्न प्रकार के अपराधों में 7,33,117 किशोर तथा बाल अपराधी पकड़े गये। 1965 में बाल अपराधियों की संख्या–68274 थी, हत्या तथा हत्या का प्रयास करने में 358 और 1963 में 672 किशोर अपराधी गिरफ्तार हुए। 1968 में किशोर अपराधियों की उम्र 16 से 21 वर्ष थी और 66: बाल अपराधी गिरफ्तार 1982 में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल–59345 मामले दर्ज किये गये। 1992 में यह संख्या बढकर– 11100, 2001 में 16509 तथा 2011 में 25125 हो गई इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में किशोर अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।[5]

भारत वर्ष में बाल अपराध की रोक थाम के सरकारी प्रयास

भारत में बाल अपरधियों को सुधारने के लिए अनेक सुधार संस्थाओ एवं स्कूलों का निमार्ण किया गया है जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है–

1. **बोर्स्टल स्कूल**–इस संस्था का अवष्किार सर्वप्रथम ईग्लेण्ड में हुआ 1902 में सर ब्राइम ने बोर्स्टल नामक स्थान पर एक गैर सरकारी जेल खाना खोला जिसका उद्देश्य अपराधियों को वहां रखकर उनका सुधार करना था। 1962 ई0 में भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडू राज्य में बोर्स्टल स्कूल की स्थापना हुई बाद मे बंगाल महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश में भी एक बोर्स्टल स्कूल की स्थाना की गयी। उत्तर प्रदेश में भी यह नियम पारित हुआ और बरेली में बाल बन्दीगृह खोला गया जिसमें 15 वर्ष से 21 वर्ष तक के बच्चे रखे जाते है। यहां उन्हे विविद व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ–साथ कुशल शिक्षा द्वारा नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इन स्कूलों में इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि बच्चा यहां से निकलने पर समाज में अच्छा व्यवहार करेगा।
2. **सुधार अथवा रिफोर्मेटरी स्कूल–** 1897 ई0 में रिफार्मेटरी स्कूल एक्ट सभी बड़े–बड़े राज्यों तथा कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। इन स्कूलों में 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे रखें जाते है जो पहले से सजा काट चुके है या जिन्होने गम्भीर अपराध नहीं किये है इस प्रकार के विद्यालायों का उद्दश्यों अपराधी बालाकों का सुधार और पुर्नवास करना है।
3. **किशोर बन्दीगृह–** इस प्रकार की जेल उत्तर प्रदेश के बरेली में, बिहार तथा उड़िसा में स्थापित की गई है जिनको किशोर सदन के नाम से पुकार जाता है इस

प्रकार के 92 जेल इस समय कार्य कर रही है। इन संस्थाओं में समान्यतः 21 वर्ष तक के किशोर अपराधी बालको को रखा जाता है।

4. **रिमाण्ड होम**–किशोर अपराधी के मामलों की सुनाई और जांच परताल के दौरान उन्हे रिमाण्ड होम में रखा जाता है जिससे उन पर अपराधियों का कुप्रभाव ना पड़ सके रिमाण्ड होम के कार्यो के बारे में डी0बी0 कुलकर्नी ने लिखा है रिमाण्ड होम के बहुपक्षीय कार्य है सुरक्षा का स्थान होने के साथ–साथ यह वह स्थान भी जहां बाल अपराधियों के अवलोकन और वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया जाता है।
5. प्रमाणिक स्कूल।
6. बाल सलाह केन्द्र।
7. बाल क्लब।
8. फोस्टर होम।
9. प्रोवेशनहास्टल।
10. सम्प्रेक्षण गृह।
11. बाल कल्याण बोर्ड।
12. बाल न्यायालय।

किशोर न्याय अधिनियम 1986

बाल अधिनियम 1986 मे प्रयुक्त शब्द उपेक्षित बालक को सन् 2000 मे सुधार किया गया जिसमें उपेक्षित बालक के स्थान पर विधि के देख–रेख एवं संरक्षण के आवश्यकता वाला बालक कहा गया जिनके बाद इस अधिनियम को बाल न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण 2000) के नाम से जाना जाने लगा इस अधिनियम मे 2006 भी परिवर्तन किया गया और 2015 में एक बार फिर से इस अधिनियम में परिवर्तन हुआ जिनके बाद इस अधिनियम को किशोर न्याय बालको की देख–रेख और संरक्षण अधिनियिम 2015 के नाम से जाना जाने लगा।

किशोरों में बढती हुई अपराधिक प्रवृतियों की रोक थाम हेतु सुझाव

किशोरों में बढती अपराधिक प्रवृतियों की रोक थाम हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते है–

1. परिवार तथा समाज मेंस्वस्थ्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध करायें जाये।
2. अश्लील सहित्य एवं दोषपूर्ण फिल्म पर रोक लगाई जाय।
3. बिगड़े हुए किशोरों को सुधारने में माता–पिता की मद्द करने हेतु बाल सलाहकार केन्द्र गठित किये जाये।
4. किशोरों को बुरी संगत से बचाया जाये।
5. गन्दी बस्तीयों को समाप्त कर साफ सुथरी कालोनीयों का निर्माण किया जाये।
6. उचित शिक्षा जिसमें मूल्यपरक एवं नैतिक शिक्षा सम्मलित हो का प्रबन्ध किया जाये।
7. बाल न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की जायें।
8. बाल अपराध किशोर अपराध नियंत्रण हेतु सारे देश में समान कानून की व्यवस्था की जाये।
9. अनुत्तीर्ण होने की समस्या का उचित समाधान खोजना चाहिए।

उद्देश्य

1. किशोर अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनका मूल्यांकन करना।
2. अपराध के बढ़ोतरी में जिन-जिन तथ्यो ं का योगदान है उसे सही ढंग से प्रकाश में लाना।
3. किशोर अपराध के प्रभावो ं को देखना।
4. किशोर अपराध के बढोत्तर में संबंधित परिवार का कितना योगदान होता है इसका मूल्यांकन करना।
5. किशोर अपराध के रोकथाम के लिए मूल्यांकन सुझाव देना।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में किशोर अपराध का रूप भयावह होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण जनसंचार के साधनों (कम्प्युटर, मोबाईल, वेब) में वृद्धि, विद्यटित परिवार, गरीबी, स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन का अभाव आदि प्रमुख है। भारत की बढ़ती जनसंख्या भी इसमें अपने प्रमुख भुमिका अदा कर रहा है। किशोर अपराध के कारण ही भारत में के हर क्षेत्र में अपराध का रूप देखा जार सकता है। अगर माता–पिता अपने बच्चों पर ध्यान दे ंतो शायद इस तरह के अपराधी न के बराबर मिलेंगे अगर मिलेंगे भी तो वे ऐसा गुण माता–पिता से पाये रहेंगे। सरकार द्वारा इसे समाप्त करने के लिए समय–समय पर जो प्राविधान किये गये हैं वह सराहनीय है। समय–समय पर सरकार द्वारा जो प्रयन्त किये गये हैं उसे और शसक्त बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ बेरोजगारी दूर कर के गरीबी दूर किया जाना चाहिए तथा जनसख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कठोरता से पेश आना चाहिए। इन प्रयत्नों से से किशोर अपराध में गिरावट देखी जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ0 धर्मवीर महाजन–अपराध एवं बाल अपराध।*
2. *जीम श्रनअमअपसम श्रनेजपबे ।बज 2015*
3. *डॉ0 धर्मवीर महाजन–अपराध एवं बाल अपराध।*
4. *सेठना– समाज एवंअपराधी पृ0–315*
5. *डॉ0 महाजन धर्मवीर–अपराधशास्त्रपृ0–121–122*